न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

वाद संख्या–01/2018–19

प्रथम पक्ष :– करम साव एवं अन्य पिता–स्व0 मथुरा साव, ग्राम+थाना–टण्डवा।

बनाम

द्वितीय पक्ष :– पुनिया देवी, पति–श्री रामप्रसाद साव एवं अन्य, ग्राम–गाड़ीलौंग, टण्डवा।

1	2	3

–: आदेश :–

इस वाद की प्रक्रिया आवेदक करम साव, धरम साव एवं यमुना साव सभी पिता–स्व0 मथुरा साव, ग्राम–टण्डवा, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा के अपील आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। इस वाद में विपक्षी पुनिया देवी, पति–श्री रामप्रसाद साव, अजय कुमार गुप्ता और बब्लू कुमार गुप्ता सभी पिता–स्व0 रामप्रसाद साव, साकिन–गाड़ीलौंग, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा है। इस वाद की प्रक्रिया में विवादित भू–खण्ड की विवरणी निम्नवत् है।

मौजा–नईपारम, थाना नं0–56, खाता नं0–1, 9, 32, कुल रकबा–26.67 एकड़।

प्रथम पक्ष ने इस वाद की प्रक्रिया में लिखित कथन के माध्यम से यह कहा है कि मौजा–नईपारम, थाना–टण्डवा के खाता नं0–01, 09 एवं 32 जमा रकबा–26.67 एकड़ भूमि आवेदकगण के पूर्वज के नाम पर दर्ज है एवं सरकारी रसीद आवेदकगण के बड़े भाई सीताराम साव वगै0 के नाम पर कटता चला आ रहा है। यह कि खाता नं0–01 सर्वे खतियान में किसनी साहु, खाता नं0–09, मसो0 बकासो कोयरी तथा खाता नं0–32 कैलू साहु के नाम से दर्ज है। हीरा साव, कैलू साव एवं किसनी साव तीनों सहोदर भाई थे। हीरा साव के मरने के बाद उनकी पत्नी बतासो कोयरी के नाम पर खाता नं0–09 सर्वे खतियान में दर्ज है। यह कि किसनी साहु अपनी पत्नि मोहनी को छोड़कर निःसंतान मर गए तथा मसो0 बतासो कोयरी भी निःसंतान मर गई और इस प्रकार खाता नं0–01, 09 की पूरी सम्पति के उतराधिकारी कैलू साव हुए। कैलू साव को एक मात्र पुत्र मथुरा साव हुआ तथा पिता के मृत्यु के बाद मथुरा साव हीं सम्पूर्ण भूमि पर दखलकार हुए। मथुरा साव को चार पुत्र सीताराम साव, जमुना साव, करम साव, धरम साव हए, जो इस वाद में प्रथम पक्षकार हैं।

लिखित कथन के माध्यम से प्रथम पक्ष ने यह कहा है कि उपर्युक्त तीनों खाता की भूमि का रसीद सीताराम साव वगै0 के नाम पर कटता चला आ रहा है, जो मथुरा साव के ज्येष्ठ पुत्र थे। यह कि विपक्षी संख्या–01 पुनिया देवी के पति–स्व0 रामप्रसाद साव एवं उसका भाई अशोक गुप्ता जो वर्त्तमान में भू–अर्जन कार्यालय में अमीन है, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी रणविजय गुप्ता के साथ साठ–गांठ कर पंजी–2 में हेर–फेर करते हुए रामप्रसाद साव के नाम पर रसीद कटवा लिया। लिखित कथन में यह भी उल्लेख है कि इसी आधार

Scanned with OKEN Scanner

पर एनटीपीसी से 3200000/- (बतीस लाख) रूपये मुआवजा के रूप में प्राप्त कर लिया। अपीलार्थी का कहना है कि अंचल अधिकारी को शिकायत करने पर वाद संख्या-02/2014-15 को बिना जांच किए हुए निष्पादित कर दिया गया तथा सक्षम न्यायालय जाने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी, टण्डवा के विविध वाद संख्या-02/2014-15 में पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन का प्रमाणित प्रति तथा लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल की गई। दूसरी ओर इस वाद की प्रक्रिया मे द्वितीय पक्ष के द्वारा अपना लिखित कथन दाखिल नही किया गया। दिनांक-17.01.2020 को द्वितीय पक्ष ने सुलहनामा आवेदन प्रथम पक्ष से हस्ताक्षर कराकर एवं न्यायालय मे उपस्थित होकर दाखिल किया तथा सुलहनामा आवेदन के आधार पर इस वाद को समाप्त करने का आग्रह किया।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित कथन एवं अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा दिनांक-16.09.2015 को पारित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष के द्वारा अपील आवेदन मे लगाए गए आरोप सही है। क्योंकि इसका उल्लेख राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन तथा अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन में भी उल्लेखित है। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि पंजी-2 के साथ छेड़-छाड़ किया गया है। यथा पंजी-2 में परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम, सक्षम पदाधिकारी का आदेश या वाद संख्या अंकित नही है। प्रतिवेदन में आगे यह भी उल्लेखित है कि जमाबन्दी पर हेरा-फेरी कर एनटीपीसी से 32 लाख रूपये की गलत ढंग से निकासी हुई है, जिसमें अंचल अमीन, अशोक कुमार गुप्ता का साठ-गांठ रहा है। इस प्रकार तत्कालिन अंचलाधिकारी, टण्डवा के द्वारा दिनांक-16.09.2015 को पारित आदेश पूर्णतया संदिग्ध प्रतीत होता है और अभिलेख देखने से यह भी प्रतीत हो रहा है कि अंचल अधिकारी के द्वारा तथ्य उजागर होन के बाद भी तोड़-मडोरकर आदेश पारित किया गया। वर्णित परिस्थिति में दिनांक-16.09.2015 को अंचल अधिकारी के स्तर से पारित आदेश को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, टण्डवा को यह आदेश दिया जाता है कि मौजा-नईपारम के खाता नं0-01, 09, एवं 32 के संदर्भ में चल रहे संदिग्ध जमाबन्दी का सम्पूर्ण जांच पड़ताल कर नियमानुसार राजस्व विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में समुचित कार्रवाई करेंगें।

अंचल अधिकारी, टण्डवा को यह भी आदेश दिया जाता है कि जिन कर्मियों के द्वारा इसमें हेर-फेर किया गया है उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई का भी प्रस्ताव देगें।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.18 15:00:10 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner